दंडित–अपीलकर्ता

क्रमांक: **827**

नामः मड़वी दुल्ला

पिता का नामः कोसा

निवासीः ग्राम पोटेनार, इछावाड़ा, थाना भैरमगढ़, जिला बस्तर

आयुः 30 वर्ष

दंडित किया गयाः आजीवन कारावास (10/11/97 से)

अंतर्गत धाराः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

द्वाराः श्री आर. के. श्रीवास्तव सत्र न्यायाधीश

बंदी को यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि यदि वह स्वयं कथन देना चाहता है या किसी विधिक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिनिधित्व करना चाहता है, तो अपीलीय न्यायालय सात दिवस की अवधि तक वाद की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगा, जब तक कि उक्त विधिक अधिवक्ता न्यायालय में प्रस्तुत न हो जाए। यदि विधिक अधिवक्ता सात दिवस की अवधि के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे सुने जाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यदि अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय वाद की सुनवाई तत्काल प्रारंभ कर सकता है और ऐसे अधिवक्ता को, जो बाद में उपस्थित हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. निर्णय की प्रति हेतु आवेदन की तिथि : नहीं
2. जिस तिथि को प्रति प्राप्त हुई : 10/11/97
3. जिस तिथि को अपील प्रेषित की गई : 19/11/97
4. क्या बंदी प्रतिनिधित्व करना चाहता है या नहीं : हाँ

क्रमांकः 828 नामः मड़वी दुल्ला पिता कोसा

जारी रखा गयाः जिला जेलः प्रथम श्रेणी जगदलपुर

क्रमांकः 798/ बैरक दिनांकः 19/11/97

मामले में पारित निर्णय या आदेश की प्रति के साथ इसे प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, **जगदलपुर** को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि वह इसे उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करें।

सुप्रीटेंडेंट – सेंट्रल / डिस्ट्रिक्ट/ सब– जेल

प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्राप्ति की तिथि : 04/12/97

साथ संलग्न अभिलेख प्राप्त होने की तिथिः

अपील न्यायालय का अपील ज्ञापन (मेमो ऑफ अपील) :
क्रमांकः 05/E दिनांक 05/12/97

को प्रेषित : श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदय,जगदलपुर

अपील न्यायालय में प्राप्त होने की तिथि :... ... ...

2005:CGHC:4627

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 791/1998

-

मड़वी दुल्ला

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विचार हेतु निर्णय

माननीया न्यायामूर्ति श्री दिलीप राव साहेब देशमुख

श्री दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीया न्यायामूर्ति श्री एल.सी. भादू

श्री एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

सुनवाई हेतु निर्धारित 22/06/2005

श्री दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 791/1998

मड़वी दुल्ला

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू,
माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप आर. देशमुख, न्यायाधीशगण

अपीलार्थीगण की ओर से : श्रीमती किरण जैन अधिवक्ता।
राज्य की ओर से : श्री यू.एन.एस. देव, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप आर. देशमुख, न्यायाधीशगण

1. यह अपील दिनांक 10.11.1997 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि सत्र प्रकरण क्रमांक 244/1997 में पारित किया गया था, जिसमें श्री आर.के. श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश, बस्तर (जगदलपुर) द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मड़वी हड़मा की हत्या कारित करने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। यह हत्या दिनांक 12.02.1997 को ग्राम पोटेनार, इछावाड़ा, थाना भैरमगढ़, जिला बस्तर में की गई थी। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता तथा मृतक मड़वी हड़मा सगे भाई थे। दिनांक 12.02.1997 को पोड़ीयामी लकमा के घर "छट्ठी" (जन्म के बाद छठे दिन का संस्कार) का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम के पश्चात अभियुक्त-अपीलकर्ता, मृतक मड़वी हड़मा, तथा गवाह मड़वी

दुल्ला (अ. सा. .1) लगभग रात्रि 8 बजे अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में, अभियुक्त–अपीलकर्ता ने अपने बड़े भाई मड़वी हड़मा (मृतक) से कहा कि यद्यपि दोनों ने कृषि भूमि के लिए एक साथ कार्य किया था, तथापि मड़वी हड़मा ने उक्त भूमि का पट्टा केवल अपने नाम पर बनवा लिया और उसे (अभियुक्त को) जीविकोपार्जन हेतु कोई भूमि नहीं दी। इस पर मड़वी हड़मा ने कहा कि भूमि उसके नाम दर्ज है, अतः वह उसमें से कोई हिस्सा अपीलकर्ता को नहीं देगा। यह सुनकर अपीलकर्ता क्रोधित हो गया और अपनी कमर में खोंसी हुई एक लोहे की छुरी निकालकर अपने भाई मड़वी हड़मा के सीने और पसलियों पर वार कर दिया। मड़वी हड़मा वहीं गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त अपनी छुरी लेकर वहां से फरार हो गया। घटना का सम्पूर्ण दृश्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह मड़वी दुल्ला (अ. सा. .1) ने देखा।

3. गवाह मड़वी दुल्ला (अ. सा. .1) द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 14.02.1997 को प्रातः 10:30 बजे थाना भैरमगढ़ में दर्ज कराई गई, जो कि घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। मृतक मड़वी हड़मा का शव श्री एम.एल. शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक (अ. सा. .6) द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। डॉ. ए.एस. सेंधराम (अ. सा. .3) द्वारा मृतक मड़वी हड़मा का शव परीक्षण किया गया और पोस्टमार्टम के दौरान निम्न चोटें पाई गईं, बाएँ छाती की ओर, छठी एवं सातवीं पसली के स्तर पर, ऊर्ध्वगामी दिशा में एक धारदार छुरा घाव, जिसका माप 5" x 1½" x 4½" था। बाएँ छाती की ओर, पाँचवीं इंटरकोस्टल स्पेस (पसली के मध्य की जगह) पर एक भेदी घाव, जिसका माप 1½" x ½" x 2" था। दाएँ चेहरे की ओर एक नीला पड़ने वाला घाव (contusion), जिसका माप 5" x 3" था। मृतक की छठी और सातवीं बाईं पसलियाँ टूटी हुई पाई गईं। छाती की गुहा (chest cavity) में रक्त स्रवण एवं विदारण (rupture) पाया गया। बाएँ फेफड़े में विदारण के साथ छाती की गुहा में अत्यधिक रक्त पाया गया। साथ ही हृदय की नोक (apex) भी फटी हुई थी, तथा छाती की गुहा में भारी मात्रा में रक्तस्राव मौजूद था। डॉ. ए.एस. सेंधराम (अ. सा. .3) ने 15.02.1997 को प्रदत्त अपनी राय (रिपोर्ट क्रमांक प्रदर्श पी/6) में यह अभिमत व्यक्त किया कि: ये सभी चोटें कठोर एवं धारदार वस्तु से उत्पन्न हुई हैं। चोटें मृत्युपूर्व (ante–mortem) हैं और पोस्टमार्टम से 60 से 64 घंटे पूर्व कारित हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं। मृत्यु का कारण हृदय विदारण से उत्पन्न शॉक (syncope) था, जो कि चोट संख्या 2 के कारण हुआ और यह मृत्यु हत्या (homicidal) की श्रेणी में आती है।

4. दिनांक 16.02.1997 को सहायक उप निरीक्षक श्री एम.एस. शर्मा द्वारा अभियुक्त–अपीलकर्ता का मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श– पी/8) लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर उसी दिन, (प्रदर्श– पी/9) के माध्यम से एक लोहे की 'छुरी', जिस पर रक्त जैसे धब्बे थे, को जप्त किया गया। इसके पश्चात्, डॉ. ए.एस. सेंधराम द्वारा थाना भैरमगढ़ से प्राप्त छुरी का परीक्षण किया गया। 27.02.1997 को उन्होंने यह राय व्यक्त की कि मृतक को जो चोटें आई थीं, वे अभियुक्त–अपीलकर्ता से बरामद की गई उक्त 'छुरी' से कारित की जा सकती हैं। जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, अभियुक्त के विरुद्ध मड़वी हड़मा की हत्या के लिए अभियोजन किया गया ।

5. अभियुक्त–अपीलकर्ता ने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया तथा अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों का परीक्षण किया: चक्षुदर्शी साक्षी मड़वी दुल्ला (अ.सा.1), मड़वी बोडो (अ.सा.2) — जो मृतक की विधवा है, डॉ. ए.एस. सेंधराम (अ.सा. 3), दुभाषिया लच्छू राम (अ.सा. 4), मड़वी जोगा (अ.सा. 5) तथा सहायक उप निरीक्षक एम.एल. शर्मा (अ. सा.6)। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों की निर्विवाद साक्ष्य पर आलंब लेते हुए विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि मदवी हडमा की मृत्यु एक हत्यात्मक थी, जिसे अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर कारित किया गया। न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियुक्त के पास हत्या करने का हेतुक विद्यमान था, क्योंकि वह इस बात से आक्रोशित था कि मृतक भाई ने उसे आजीविका चलाने हेतु कृषि भूमि का कोई हिस्सा नहीं दिया। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित आरोपों के अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आरोपित निर्णय को केवल दो आधारों पर चुनौती दी है। प्रथमतः, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी मड़वी दुल्ला (अ. सा.–1) की गवाही विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि घटना के समय घटनास्थल पर अंधेरा था, अतः वह घटना को देख ही नहीं सकता था। द्वितीयतः, वैकल्पिक रूप से यह दलील दी गई कि यह अपराध पूर्व विचार या योजना के बिना,

एकाएक उत्पन्न हुए आवेश में कारित किया गया, तथा अभियुक्त के मन में मड़वी हड़मा की हत्या करने की कोई पूर्व–नियत मंशा नहीं थी। अतः अधिकतम रूप से, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग–2 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त दिनांक 16.02.1997 से न्यायिक हिरासत में है, अतः उसे लघु दंड (lesser sentence) दिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त/ अपीलकर्ता एवं मृतक दोनों ने 'छट्ठी' समारोह के दौरान मद्यपान किया था, अतः यह अपराध धारा 304, भाग–2 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आना चाहिए।

8. दूसरी ओर, श्री यू.एन.एस. देव, माननीय शासकीय अधिवक्ता ने यह जोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत लगाए गए आरोप के समर्थन में विधिसम्मत, विश्वसनीय तथा निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मड़वी दुल्ला (अ. सा.–1) की घटना–स्थल पर उपस्थिति को प्रतिपरीक्षा के दौरान विवादित नहीं किया गया, तथा उसकी गवाही पूर्णतः विश्वसनीय है। डॉ. ए.एस. सेंधराम (अ. सा.–3) ने यह स्थापित किया है कि मड़वी हड़मा की मृत्यु छाती में छुरा घोंपने से हुई थी, जो कि मानववध (homicidal) थी। यह तथ्य कि मृतक को धारदार चाकू से छाती पर इतनी ज़ोर से इस प्रकार प्रहार किया गया कि बाईं ओर की 6 वीं एवं 7 वीं पसलियाँ टूट गईं, बायाँ फेफड़ा तथा हृदय का अग्रभाग (apex) भी विदीर्ण (ruptured) हो गया — यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि घातक चोटें जान से मारने की मंशा (intention) तथा इस ज्ञान (knowledge) के साथ दी गईं कि वे मृत्यु होने की संभावना थी । विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर विश्वास कर अभियुक्त–अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करना पूर्णतः उचित एवं न्यायोचित है।

9. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है। हमने अभिलेख का अवलोकन किया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण भी किया है। जहाँ तक मड़वी दुल्ला (अ. सा.–1) की गवाही का प्रश्न है, वह अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों से सम्बंधित है। उसका अपीलकर्ता के प्रति कोई द्वेष" या "मनमुटाव नहीं है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति को प्रतिपरीक्षा में नकारा नहीं गया है। इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने स्वयं यह सुझाव दिया कि यह गवाह, अभियुक्त/ अपीलकर्ता और मृतक के साथ पोडियामी लकमा के घर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर शराब और भोजन का सेवन किया था। केवल इस तथ्य से कि अभियुक्त और मृतक ने 'छट्ठी' समारोह में शराब पी थी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे इस हद तक नशे में थे कि अभियुक्त को यह ज्ञात न हो कि वह क्या कर रहा है जब उसने 'छुरी' से मड़वी हड़मा पर प्रहार किया। यह ध्यान देने योग्य है कि मड़वी हड़मा के शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) में पेट में शराब की उपस्थिति की पुष्टि नहीं हुई है।

10. मड़वी दुल्ला (अ. सा.–1) ने यह बयान दिया है कि जब वह अभियुक्त–अपीलकर्ता एवं मृतक मड़वी हड़मा के साथ 'छट्ठी' समारोह से लौट रहे थे, तो अभियुक्त ने मृतक से कहा कि उसने उसे कम भूमि दी है। इस पर मड़वी हड़मा ने कहा कि जितनी भूमि दी जा सकती थी, दी जा चुकी है। तत्पश्चात, अभियुक्त ने अपनी कमर से 'छुरी' निकालकर मड़वी हड़मा की छाती पर दो बार वार किया और वहां से भाग गया। मड़वी हड़मा वहीं गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद मड़वी दुल्ला (अ. सा.1) उसने जाकर मड़वी बोड़ो (अ. सा. 2) को बताया कि अभियुक्त ने उसके पति की छुरी से हत्या कर दी। मड़वी बोड़ो (अ. सा. 2) ने भी इस गवाह की गवाही की संपुष्टि (corroboration) की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि गवाह मड़वी दुल्ला (अ. सा. .1) घटना को नहीं देख सकता था क्योंकि यह घटना रात्रि के अंधकार में हुई थी, तो इसमें कोई सार नहीं है। यह एक सामान्य अनुभव है कि गांवों के लोग अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि वे शहरीकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण के शिकार नहीं होते और वे बिना स्ट्रीट लाइट या प्रकाश के भी चीजों को अच्छी तरह से देख और पहचान सकते हैं। गवाह मड़वी दुल्ला (अ. सा.–1) से जब प्रतिपरीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय इतना अंधेरा नहीं था कि वह पहचान न सके। उन्होंने एक सुसंगत और यथार्थ स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि वह अभियुक्त–अपीलकर्ता मड़वी दुल्ला और मृतक मड़वी हड़मा के साथ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने घटना को देखा और अभियुक्त की पहचान कर सकता था । इस गवाह का कथन विश्वसनीय और आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

12. जहाँ तक एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी का प्रश्न है, घटना 12.2.1998 को रात्रि 8:00 बजे घटित हुई थी और एफ.आई.आर. (प्रदर्श–5) 14.2.1997 को प्रातः 10:30 बजे थाना भैरमगढ़ में दर्ज कराई गई, जो घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। चूंकि बस्तर के

आंतरिक क्षेत्रों में कोई यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए पूरा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। अतः एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी पूर्णतः युक्तिसंगत एवं स्पष्ट रूप से व्याख्यायित है, और अभियोजन की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

13. डॉ. ए.एस. सेंढराम (अ. सा. 3) की गवाही से यह संदेह से परे सिद्ध हो जाता है कि मदवी हडमा के बाएँ छाती पर दो गहरे छेद वाले घाव हुए थे, जो कि कठोर और धारदार हथियार से पहुँचाए गए थे। मड़वी हडमा को हुई चोटों की गंभीरता और विवरण पहले ही कंडिका –3 पूर्वोक्त में उल्लेखित किया जा चुका है, जो इस तथ्य में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मड़वी हडमा की मृत्यु एक मानववध थी ।

14. ए.एस.आई. एम.एल. शर्मा (अ.सा.–6) की पूरी तरह से अखंडित गवाही से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 14.02.1997 को गवाह मदवी डुला (अ.सा– 1) द्वारा एफ.आई.आर. (प्रदर्श/ पी.5) दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर उन्होंने अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने 'छुरी' अपनी कमर में रखी थी और उसे प्रस्तुत किया। इस 'छुरी' (प्रदर्श पी.9) की बरामदगी भी इस गवाह की गवाही से पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब केवल यह प्रश्न शेष रह जाता है कि अभियुक्त–अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध किस प्रकृति का था। अभियोजन के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त को यह शिकायत थी कि उसके भाई मड़वी हडमा ने उसे पर्याप्त भूमि नहीं दी थी, और जब उसने भूमि माँगी, मड़वी हडमा ने देने से इनकार कर दिया। इस पर अभियुक्त उत्तेजित हो गया और उसने तेजधार हथियार 'छुरी' से मड़वी हडमा के सीने में दो बार वार किया, और इतनी प्रबलता से वार किया गया कि: बायीं ओर की 6 वीं और 7 वीं पसलियाँ टूट गईं, छाती की गुहा (cavity), बायाँ फेफड़ा, तथा हृदय का अग्र भाग (apex) फट गया। जिस संवेदनशील अंग (vital part), जिस पर चोट पहुँचाई गई, तथा अभियुक्त–अपीलकर्ता द्वारा छाती के बाएं भाग पर दो बार गहराई तक चाकू से प्रहार करने में प्रयुक्त बल की मात्रा से यह स्पष्ट और अटल निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने न केवल अपने भाई मड़वी हडमा की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, बल्कि उसने यह चोटें पूर्ण

जानकारी और समझ के साथ पहुंचाई थीं कि ये चोटें मड़वी हडमा की मृत्यु का कारण बन सकती हैं।"

16. गवाह एम.एल. शर्मा (अ. सा.6) की अखंडित गवाही से संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि एक 'छुरी' अभियुक्त-अपीलकर्ता के निशानदेही पर बरामद की गई थी और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(P.H.C) भैरमगढ़ भेजा गया था। डॉक्टर ए.एस. सेंधराम (अ. सा. .3) ने भी यह बयान दिया है कि मृतक को जो चोटें आई थीं, वे उस छुरी के कारण हो सकती थी जिसे थाना भैरमगढ़ से परीक्षण हेतु भेजा गया था।

17. घटना की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, जिस आशय से अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मृतक मड़वी हड़मा के शरीर के महत्वपूर्ण भाग, अर्थात् बाएं सीने पर घातक चोटें पहुंचाईं और जिन बलप्रयोग के साथ ये चोटें दी गईं, उसे देखते हुए हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते कि यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग द्वितीय के अंतर्गत आता है। अतः हम यह मानते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराना पूर्णतः उचित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. अंतिम विश्लेषण में, इस अपील में कोई कोई सार नहीं पाई गई और इसे तदनुसार ख़ारिज किया जाता है। जब्त की गई वस्तुएँ, अर्थात् मिट्टी, छुरी को तत्काल नष्ट किया जाए।

सही/-
एल.सी.भादू
न्यायमूर्ति

सही/-
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

---0---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By. ADV. RAHUL KRISHNA SAHU

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur